सार-समाचार

मादक पदार्थ के दो तस्कर गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। गुमानपुरा पुलिस टीम ने दो अलग-अलग मामलों में कार्यवाही करते हुए एक मामले में अवैध मादक पदार्थ स्मैक सहित तस्कर को गिरफ्तार किया वहीं दूसरे मामले में एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे ईनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। गुमानपुरा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि शहर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन नश्वर अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए ही एक व्यक्ति को डिटेन कर उसके पास से स्मैक बरामद की पुलिस ने मौके पर एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुए छावनी रामचंद्रपुरा निवासी राकेश उर्फ पंकज भारती (27) को अवैध पदक पदार्थ स्मैक सहित गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपों से अनुसंधान जारी है। वहीं गुमानपुरा थाना अधिकारी ने बताया कि दूसरे मामले में पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए एनडीपीएस एक्ट मे वांछित चल रहे 2000 के ईनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है पुलिस टीम ने मुखबीर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए चंद्रघटा निवासी आफाक उर्फ बंटी (36) को गिरफ्तार किया है पकड़े गए आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

जनसुनवाई 6, 13 व 20 फरवरी को

कोटा, (निसं)। आमजन की समस्याओं की सुनवाई, त्वरित समाधान एवं नागरिकों को सुशासन उपलब्ध कराने के लिए त्रिस्तरीय जनसुनवाई की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में ग्राम पंचायत, उपखण्ड एवं जिला स्तर पर क्रमश: 6, 13 व 20 फरवरी को जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। जिला कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई 6 फरवरी को समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय या ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित जनसुनवाई स्थल पर आयोजित की जाएगी। उपखंड स्तरीय जनसुनवाई 13 फरवरी को पंचायत समिति या उपखण्ड अधिकारी द्वारा चिन्हित जनसुनवाई स्थल पर तथा जिला स्तरीय जनसुनवाई 20 फरवरी को कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित की जाएगी। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में पंचायत समिति सुल्तानपुर की ग्राम पंचायत डूंगरज्या में 11 फरवरी को रात्रि चौपाल एवं जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। इसी क्रम में लाड़पुरा की ग्राम पंचायत गिरधरपुरा (डोल्या) में 18 फरवरी को एवं सुल्तानपुर की ग्राम पंचायत जालिमपुरा में 25 फरवरी को रात्रि चौपाल एवं जनसनुवाई आयोजित की जाएगी।

शिविर में 103 रोगी लाभांवित

कोटा, (निसं)। मोतियाबिंद के रोगियो के लिए लायंस क्लब कोटा के द्वारा नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन निरंतर जारी है। लायंस क्लब कोटा द्वारा आयोजित निशुल्क नैत्र शल्य चिकित्सा शिविर लांयस क्लब भवन में सम्पन्न हुआ। अध्यक्ष प्रमोद विजयवर्गीय ने बताया कि शिविर के रजिस्ट्रेशन कार्य 28 जनवरी से प्रारंभ किया गया था। जिसमें 225 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया। बीपी, शुगर अन्य बिमारी के चलते 103 नेत्र रोगियो को ऑपरेशन कर शुक्रवार को उन्हे काले चश्मे सौपे गऐं। कार्यक्रम में केईडीएल के टेक्निकल हेड अन्नामित्रो डाली मुख्य अतिथि रहे। उन्होने नेत्र रोगियों को काले चश्में पहनाएं। शिविर प्रभारी अशोक नुवाल ने बताया कि सभी ऑपरेशन डॉ. विशाल स्नेही ने सभी मरीजो का ऑपरेशन आधुनिक लेजर तकनीक के माध्यम से किया गया और मरीजो को लेंस प्रत्यारोपित किए। इस अवसर सचिव वीरेन्द्र विजय,क्बल सदस्य अशोक नुवाल, अरुण तुलसियान, राम मदनानी, पवन पारेता, विनोद अजवानी उपस्थित रहे।

नि:शुल्क शिविर कल

कोटा, (निसं)। अफिनिटी हॉस्पिटल, तलवंडी चौराहा द्वारा वसंत पंचमी के अवसर पर एक शुरूआत की जा रही है, इसमें रविवार को नए मरीजों के लिए एक नि:शुल्क कैंप का आयोजन किया जाएगा। डॉ.नीना विजयवर्गीय, मनोचिकित्सक एवं काउंसलर, एमबीबीएस, डीपीएम (साइकेट्री), एमआईपीएस ने बताया कि बहुत से लोग मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से परेशान तो रहते हैं, लेकिन वित्तीय रूप से कमजोर होने की वजह से परामर्श नहीं ले पाते हैं, जिससे बीमारी का समय रहते इलाज नहीं हो पाता और बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इसीलिए इस कैंप का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आएं और अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक कदम बढ़ाएं। इस कैंप में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में नए मरीजों के लिए निशुल्क परामर्श, नि:शुल्क ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की जांच शामिल होंगी

आठ ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि मादक पदार्थ की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलायें जा रहे अभियान के तहत चेचट पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए मादक पदार्थ आठ ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। कोटा ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस उपअधीक्षक घनश्याम मीणा के सुपरविजन मे उपनिरीक्षक थानाधिकारी राजेन्द्र प्रसाद ने मय जाप्त इलाके में नाकाबंदी के दौरान कार्यवाही करते हुए एक व्यक्ति को डिटेन कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से मादक पदार्थ आठ ग्राम स्मैक बरामद की गई। पुलिस टीम ने मौके पर एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुए इंटर कॉलोनी चेचट निवासी कालू कबाड़ी उर्फ मोईन (47) को गिरफ्तार किया है। पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

लिफ्ट में फंसी महिलाओं व बच्चों को सुरक्षित निकाला

कोटा, (निसं)। पुलिस कंट्रोल रूम पर गुरूवार देर रात्रि को खड़े गणेश मंदिर के समीप बनी धर्मशाला की लिफ्ट में महिलाओं व बच्चों के फंसे होने सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को मिली। सूचना पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंचकर मैकेनिक को बुलाकर लिफ्ट में फंसे बच्चों एवं महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस कंट्रोल रूम के एएसआई दिनेश त्यागी ने बताया कि एक महिला ने पंडित आशाधर धर्मशाला में बच्चों व महिलाओं के फंसने की सूचना दी थी जिस पर संबंधित थाने की पुलिस टीम को सूचना दी गई, और संबंधित थाने की पुलिस टीम ने मौके पर मैकेनिक को बुलाकर बच्चों व महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला।

कोटा में हॉस्टल, पीजी पंजीकरण की तिथि 7 फरवरी तक बढ़ाई

कोटा, (निसं)। राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों एवं कामयाब कोटा अभियान के तहत कोचिंग क्षेत्र के सभी हॉस्टल, पीजी संचालकों को अपने संस्थानों का पंजीकरण ऑनलाइन इस लिंक पर अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए हैं। पहले यह तिथि 31 जनवरी तक निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 7 फरवरी कर दिया गया है। अभियान के तहत अब तक कुल 3101 पंजीकरण किए जा चुके हैं, जिनमें 1619 हॉस्टल और 999 पीजी शामिल हैं। साथ ही, 483 अनुपयोगी प्रविष्टियों (जंक) की पहचान की गई है। पंजीकरण नहीं कराने वाले हॉस्टल, पीजी संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दिए गए लिंक पर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

पॉलिसी वितरण कार्यक्रम आज से

कोटा, (निसं)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अन्तर्गत रबी 2024-25 में पॉलिसी वितरण कार्यक्रम "मेरी पॉलिसी मेरे हाथ" जिले एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इन्डिया लिमिटेड के द्वारा सम्पूर्ण ग्राम पंचायत स्तर पर पॉलिसी वितरण कार्यक्रम 1 फरवरी से 15 मार्च तक कार्यक्रम जारी किया गया है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार ने बताया कि जिले के कृषक जिन्होंने रबी 2024-25 में फसल बीमा करवाया है उनसे अपील की है कि ग्राम पंचायत पर कार्यरत कृषि पर्यवेक्षक, बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर नियत की गई तिथि को ग्राम पंचायत में जाकर अपना पहचान पत्र दिखाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल बीमा पॉलिसी प्राप्त कर सकते हैं।

नए अध्यक्ष का स्वागत किया

छबड़ा (निसं)। गुर्जर धर्मशाला में जीकेएकेपी की बैठक संभाग अध्यक्ष छीतरलाल कसाना के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक में नव नियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र गुर्जर का सभी सदस्यों ने माला पहनाकर स्वागत किया और यहां सभी ने संगठित रूप से समाज उत्थान के लिए कार्य करने का संकल्प लिया ताकि समाज शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से उन्नित प्राप्त कर सके। बैठक में गिर्राज गुर्जर ब्लॉक अध्यक्ष वीर गुर्जर महासभा, तहसील संयोजक उमेश गुर्जर, ओमप्रकाश, डॉ हरिसिंह, गंगाधर, प्रकाशचंद, प्रेमचंद धनोरिया, रवि गोचर आदि मौजूद रहे।

छबड़ा थर्मल में निजीकरण के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली

छबड़ा (निसं)। थर्मल में पिछले 104 दिनों से चल रहे ज्वाइंट वेंचर के विरोध प्रदर्शन का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है परंतु, सरकार ओर विद्युत प्रशाशन आंख मूंद कर बैठे है।

चंडीगढ़ ओर उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में हो रहे बिजली के निजीकरण के खिलाफ 31 जनवरी को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया गया ओर आक्रोश रैली निकाली गई, इसी के चलते छबड़ा थर्मल की संयुक्त संघर्ष समिति ने भी देश व्यापी विरोध प्रदर्शन में अपनी भूमिका निभाई ओर छबड़ा थर्मल आवासीय कॉलोनी से प्लांट के मुख्य द्वार तक रैली निकालते हुए जमकर नारेबाजी की और निजीकरण खत्म करने की चेतावनी सरकार को दी।

छबड़ा थर्मल की संघर्ष समिति के संयोजक ने बताया कि 20 दिसंबर 2024 को जयपुर स्थित विद्युत भवन कर हुए एक दिवसीय महापड़ाव के बाद ऊर्जा सचिव ने आश्वासन दिया था कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में थर्मल की संघर्ष समिति को वार्ता के लिए बुलाया जाएगा, परंतु अभी तक किसी भी प्रकार की वार्ता नहीं की गई है जो कि प्रशासन की तरफ से धोखेबाजी और गलत मंशा को दर्शाता है। हाल ही में गणतंत्र दिवस के मौके पर छबड़ा थर्मल पावर प्लांट को राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ विद्युत उत्पादन ग्रह का उत्कृष्टता पत्र उत्पादन निगम के सीएमडी देवेंद्र श्रृंगी द्वारा दिया गया। जिसके बाद थर्मल की संघर्ष समिति का कहना है कि विद्युत प्रशाशन ओर सरकार बताए कि एक तरफ तो छबड़ा थर्मल को सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है ओर वही दूसरी ओर सबसे पहले इसी प्लांट का ज्वाइंट वेंचर के नाम पर निजीकरण क्यों किया जा रहा है। पूरे विद्युत उत्पादन निगम के सभी पावर प्लांटों में चल रहा निजीकरण विरोधी आंदोलन आने वाले विधानसभा सत्र में भी चर्चा का विषय बनने वाला है। सरकार को अब बताना पड़ेगा कि क्यों वो अपने सबसे सस्ती बिजली बनाने वाले छबडा थर्मल प्लांट को ज्वाइंट वेंचर के नाम पर बेच रही है।

छबड़ा थर्मल में निजीकरण के खिलाफ आक्रोश जताया।

एक माह तक लहसुन की नीलामी बंद

छबड़ा (निसं)। बाहर दिसावर में पुराने लहसुन का उठाव नहीं होने के कारण छबड़ा कृषि उपज मंडी के लहसुन व्यापारियों द्वारा 3 फरवरी से दो मार्च तक लहसुन की नीलामी बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए उक्त एक माह की अवधि के दौरान कृषक छबड़ा मंडी में लहसुन लेकर नहीं आए।

सार्वजनिक सूचना

इस नोटिस के माध्यम से, हमारे फ्रेंचाइज़ी डीलरशिप समुदाय, ग्राहकों के साथ-साथ संबंधित लोगों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि **मेसर्स महेन्द्रा एसोसिएट** श्री लाल चंद महेन्द्रा के माध्यम से, जिनका अंतिम ज्ञात पता-पी नं -ए-3-1, 80 फीट लिंक विस्टार लिंक रोड, फुखराज ऑरा के सामने, कोटा, राजस्थान 324001 है, जो महिंद्रा फर्स्ट चॉइस व्हील्स लिमिटेड (जिसे आगे "**कंपनी**" कहा जाएगा) के पूर्व फ्रेंचाइज़ी डीलर थे, को 15 मार्च 2024 के कारोबारी घंटों के अंत से तत्काल प्रभाव से अपनी अधिकृत फ्रेंचाइज़ी डीलरशिप से हटाया गया है।

आम जनता को सावधान किया जाता है की **मेसर्स महेन्द्रा एसोसिएट** के पास कंपनी के किसी भी ट्रेडमार्क/ब्रांड नाम का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है, न ही यह "**महिंद्रा फर्स्ट चॉइस व्हील्स**" और "**कार एंड बाइक**" के ब्रांड के तहत कोई व्यवसाय कर सकता है और/या कंपनी की ओर से कोई धन प्राप्त कर सकता है। आम जनता को सावधान किया जाता है कि वे **मेसर्स महेन्द्रा एसोसिएट** के साथ कोई भी वित्तीय लेनदेन न करें, यह मानने के बाद कि उन्हें कंपनी के ट्रेड मार्क / ब्रांड नाम का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है।

मेसर्स महेन्द्रा एसोसिएट के साथ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने जोखिम और ज़िम्मेदारी पर ऐसा करेगा। कंपनी किसी भी तरह से **मेसर्स महेन्द्रा एसोसिएट** के ऐसे अनधिकृत और गैरकानूनी कार्यों के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी।

आदेश द्वारा
महिंद्रा फर्स्ट चॉइस व्हील्स लिमिटेड
पंजीकृत पता - गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बंदर, मुंबई - 400 001, महाराष्ट्र

राजमाता माधवी राजे सिंधिया की जयंती मनाई

कोटा, (निसं)। महाराज माधवराव सिंधिया वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माताजी कैलाशवासी माधवी राजे सिंधिया की जयंती पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजली दी।

जानकारी देते हुए महाराज माधवराव सिंधिया वेलफेयर सोसाइटी कोटा के अध्यक्ष इंद्रमोहन सिंह हनी ने बताया इस अवसर पर माधवराव सिंधिया वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने शुक्रवार को छावनी चौराहे स्थित माधवराव सिंधिया पार्क में राजमाता की फोटो पर माल्यार्पण कर अपने अपने विचार रखे।

सदस्यों ने राजमाता के लड़कियों की पढ़ाई में योगदान के बारे में चर्चा की, उन्होंने हमेशा ग्वालियर संभाग व जनता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस अवसर पर मुख्य रूप से गजेन्द्र ठाकुर, अश्पाक हुसैन, राजू वर्मा, कैलाश जोशी, मनोज धोभी, राजकुमार मीणा, लोकेश तिवारी, गौरव तिवारी, यकीन खान आदि उपस्थित रहे।

प्रयागराज महाकुंभ के दौरान कोटा के नेत्र सर्जन डॉ. सुरेश पाण्डेय का अनूठा सेवा कार्य

कोटा, (निसं)। पवित्र संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान सुवि नेत्र चिकित्सालय, कोटा के नेत्र सर्जन डॉ.सुरेश पाण्डेय ने न केवल संगम तट पर स्नान कर महाकुंभ के भव्य आयोजन का हिस्सा बने, बल्कि 27 और 28 जनवरी को नेत्र महाकुंभ के तहत 300 से अधिक नेत्र रोगियों को नि:शुल्क परामर्श और उपचार प्रदान किया। इन नेत्र रोगियों में देश के विभिन्न कोनों से आए श्रद्धालु, उनके परिजन और संत महात्मा आदि शामिल थे। डॉ.सुरेश पाण्डेय ने जरूरतमंदों को नि:शुल्क आई ड्रॉप्स वितरित की, और कई मरीजों को उनके नेत्र समस्याओं का समाधान प्रदान किया। इस कार्य में मनीष दुबे और सुवि नेत्र चिकित्सालय कोटा के गोविन्द शर्मा ने उनका सहयोग किया। डॉ.पाण्डेय ने बताया कि प्रयागराज महाकुंभ के दौरान नेत्र महाकुंभ का भी आयोजन रखा गया था। जिसमें देशभर से आये अनेकों नेत्र चिकित्सकों द्वारा श्रृद्धालुओं एवं संत महात्माओं को नि:शुल्क परामर्श दिया जा रहा था। परामर्श लेने आए अधिकांश रोगियों में नेत्र एलर्जी, दृष्टि दोष, ड्राई आई, और मोतियाबिंद जैसी समस्याएं देखी गई। दृष्टि दोष से पीड़ित रोगियों का उपचार चश्मे के माध्यम से किया गया, जबकि नेत्र एलर्जी और ड्राई आई जैसी समस्याओं के लिए नि:शुल्क आई ड्रॉप प्रदान की गई। डॉ.पाण्डेय ने महाकुम्भ परिसर में आनंदलोक अस्पताल, कोलकाता द्वारा संचालित रमेश गोयल सेवा संस्थान की मोबाईल चिकित्सा इकाई का भी उपयोग किया गया, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं के माध्यम से नेत्र रोगियों का परामर्श और उपचार किया गया।

प्रयागराज महाकुंभ में डॉ.सुरेश पाण्डेय ने कुंभ में स्वामी कैलाश आनन्द गिरी महाराज, पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण से भी मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने अपनी चर्चित पुस्तक 'एक आई सर्जन की डायरी' भेंट की। इस दौरान डॉ.सुरेश पाण्डेय और उनकी टीम ने अनेकों साधु-महात्माओं एवं नागा साधुओं के दर्शन किया एवं उनसे आशीर्वाद लिया व पीड़ित साधुओं का नि:शुल्क नेत्र उपचार किया।

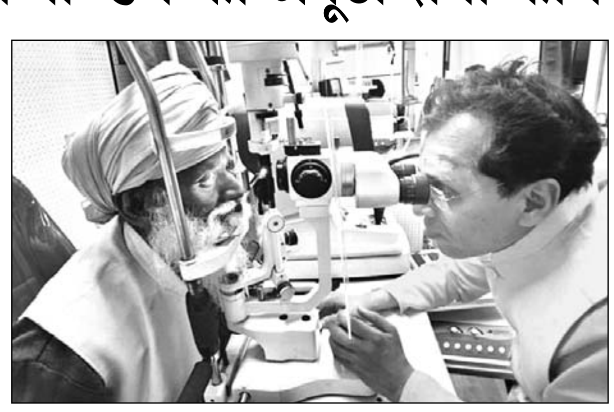
कोटा के नेत्र सर्जन डॉ.सुरेश पाण्डेय ने प्रयागराज महाकुंभ के दौरान नेत्र रोगियों की जांच की।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम जेनुद्दीन अली बोहरा से बदलकर नया नाम जेनुद्दीन अली रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।
पता-जेनुद्दीन अली पुत्र अब्बास अली बोहरा सरकारी हास्पीटल के सामने बपावर रोड सांगोद कोटा

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम तसनीम अली से बदलकर नया नाम तसनीम रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।
पता-तसनीम पत्नी जेनुद्दीन अली सरकारी हास्पीटल के सामने बपावर रोड सांगोद कोटा

विधिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार सुरेन्द्र पंकज पुत्र श्री बजरंग लाल निवासी-मानसरोवर बस्ती रायपुरा कोटा द्वारा जगदीश प्रसाद सेन पुत्र बिरधीलाल सेन के स्वामित्व एवं आधिपत्य की एक दुकान जिसकी पैमायश 42 वर्गफीट वाके गोरधनपुरा, जिला कोटा का क्रय किया जा रहा है। यह कि उक्त दुकान जगदीश प्रसाद सेन द्वारा जगदीश प्रसाद तंवर पुत्र श्री किशन लाल तंवर से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.12.2010 से किया था।
यह कि उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार सुरेन्द्र पंकज द्वारा क्रय करके एवं उसे एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक शाखा घोड़े वाले बाबा सर्किल कोटा द्वारा रहन रखकर ऋण देने के संबंध में यदि किसी आम व्यक्ति, बैंक, संस्था या अन्य किसी भी व्यक्ति को भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस के भीतर सूचित कर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा बाद में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

अजय शर्मा एडवोकेट
पता-मकान नं. 1031, 1032, सुभाष नगर द्वितीय, कोटा (राज.)
मो. 7073030526, 8239229798

कलेक्टर का छात्राओं से संवाद

कोटा, (निसं)। 'कामयाब कोटा' अभियान के तहत कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी शुक्रवार को राजीव गांधी नगर स्थित लक्ष्मी निवास गर्ल्स हॉस्टल पहुंचे और कोचिंग छात्राओं के साथ डिनर करते हुए उनसे संवाद किया। छात्राओं ने उनसे पढ़ाई में आने वाली समस्याओं एवं तैयारी के बारे में प्रश्न पूछे। डॉ.गोस्वामी ने बड़ी सहजता के साथ स्वयं के उदाहरण देते हुए उनकी शंकाओं एवं जिज्ञासाओं के समाधान प्रस्तुत किए। साथ ही, सफलता के मंत्र भी दिए। शंकाएं, समस्याएं और नकारात्मकता सहज प्रवृत्तियां हैं लेकिन सकारात्मकता से विजय पा सकते हैं।

डीआरएम ने कोटा-नागदा खण्ड पर संरक्षा निरीक्षण किया

कोटा मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा ने निरीक्षण किया।

कोटा, (निसं)। मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा ने 31 जनवरी को कोटा-नागदा खण्ड का संरक्षा विन्डो ट्रेलिंग एवं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संरक्षा मानकों, प्वांट्स, ट्रेनों के संचालन से संबंधित स्टेशन मास्टर पैनल, संरक्षा अनुदेशों की अनुपालना की जाँच की। डीआरएम ने ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के सभी नियमों एवं अनुदेशों की सख्त अनुपालना के निर्देश दिए। साथ ही कोटा-विक्रमगढ़ आलोट खण्ड पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत निर्माणाधीन रेलवे स्टेशनों रामगंजमंडी 18.62 करोड़, भवानी मंडी 25.69 करोड़ एवं शामगढ़ 19.20 करोड़ की लागत से चल रहे पुनर्विकास कार्यो की प्रगति का निरीक्षण कर जायजा लिया। वर्तमान में रामगंजमंडी में 59 प्रतिशत, भवानी मंडी 63 प्रतिशत एवं शामगढ़ 71 प्रतिशत कार्य प्रगति है। डीआरएम ने स्टेशनों पर चल रहे पुनर्विकास कार्य को गुणवत्ता मानकों के साथ तीव्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। स्टेशन कायाकल्प होने पर यात्रियों को उन्नत सुविधाओं का लाभ एवं आर्थिक गतिविधियों के साथ पर्यटन में इजाफा होगा। इस दौरान डीआरएम के साथ सहायक वाणिज्य प्रबंधक अमित वर्मा, सहायक परिचालन प्रबंधक जेएस सोहल, सहायक विद्युत इंजीनियर, सहायक मंडल इंजीनियर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-2085 — नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना — दिनांक:-31.1.2025

नगर विकास न्यास कोटा की जनरल मर्चेन्ट एसोसियेशन जे.पी. मार्केट योजना के भूखंड/आवास संख्या 160 का आवंटन/हस्तान्तरण न्यास के पत्र दिनांक 01.10.2004 को मै. एलाउस एजेंसी प्रो. उमेश चंद श्रीमाल को किया गया था। आवंटी की मृत्यु दिनांक 31.03.2024 को हो चुकी है। मृत्यु उपरांत आवंटी के विधिक वारिसान हकदार द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आई.डी., रिलीज डीड इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखंड/आवास को अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: प्राप्त विधिक राय अनुसार जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 160 योजना जनरल मर्चेन्ट एसोसियेशन जे.पी. मार्केट का नाम हस्तान्तरण श्री संजय श्रीमाल पुत्र स्व. श्री उमेश चंद श्रीमाल के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

यांत्रिक कृषि फार्म, उम्मेदगंज, कोटा
कृषि विश्वविद्यालय, कोटा पोस्ट बोक्स नं.- 07, जी. पी. ओ.-नयापुरा, कोटा- 324001 (राज.)

No. : 15( ) /MAF/Estt./Kota/2024-25/968 — Date :- 30/01/2025

OPEN TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited from the manufacturer/authorized dealers/registered suppliers and company of repute for Supply of Broad Bed Furrow, Mini Thresher and Power Weeder at Mechanized Agriculture Farm, Ummedganj, Kota of approximate cost Rs. 5.00 lakhs. The tender form can be obtained from the office during office hours by depositing tender form fee of Rs. 500/- from dated 30.01.2025 up to 06.02.2025 at 11.00 AM. Completely filled tender form in two parts (Technical and Financial bid) must be deposited on or before 06.02.2025 at 01:00 PM along with earnest money (Rs. 10,000/-) @ 2% of approximate tender cost. Received tender will be opened on 06.02.2025 at 02:00 PM before the available bidder. Tender form can also be downloaded from the university website **http://aukota.org** or **http://sppp.rajasthan.gov.in.** Incase tender form downloaded from website, it must require separate deposit of Rs. 500/- as tender form fee, otherwise tender will not be considered.

UBN No. : AUK2425GSOB00132, NIB Code : AUK2425A0089
Raj.Samwad/C/24/11133 — **Officer Incharge**

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक:-LU2012/KOT/2024-25/100878 — **लोक सूचना** — दिनांक:-31.01.2025

श्रीमती HEMLATA KHANDELWAL पत्नी श्री NARENDRA KHANDELWAL जाति MAHJAN निवासी D-15 BALLABHBARI GUMANPURA KOTA NEW DHANMANDI KOTA LADPURA RAJASTHAN ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	कुन्हाडी लाडपुरा (कोटा)	HEMLATA KHANDELWAL W/O NARENDRA KHANDELWAL HI PURNA CASTE-MAHAJAN RESI,D-15 BALLABHBARI KOTA KHATEDAR	66	6200	0.62
2.	कुन्हाडी लाडपुरा (कोटा)	HEMLATA KHANDELWAL W/O NARENDRA KHANDELWAL HI PURNA CASTE-MAHAJAN RESIDENCE,D-15 BALLABHBARI KOTA KHATEDAR	66/419	7300	0.73
				कुल	1.35

इसलिये इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपयुर्क्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 31.01.2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/3201 — **विज्ञप्ति** — दिनांक:-21.1.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम सोगरिया में स्थित कृषि भूमि योजना दुर्गा नगर/पूनम कालोनी खसरा नं. 341 के भूखंड संख्या 102 ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में श्री कुलदीप सोनी पुत्र श्री कल्याण प्रसाद निवासी 104, दुर्गा नगर 2 सोगरिया पूनम कालोनी खेडली फाटक कोटा राज. द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 396 दिनांक 20.09.2016 द्वारा श्री रमेश चन्द पुत्र श्री मिठ्ठू लाल के नाम जारी किया गया था। पट्टेधारी द्वारा उक्त भूखंड का बेचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 09.08.2019 को श्रीमती रजनी सोनी पत्नी श्री नवरतन सोनी को किया गया था। क्रेता द्वारा नाम हस्तान्तरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करे बिना जाना स्माल फाईनेंस बैंक से ऋण लिया गया। ऋण का भुगतान नहीं करने के कारण बैंक द्वारा उक्त भूखंड को कुर्क कर आवेदक कुलदीप सोनी को जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 10.08.2023 को बैचान किया गया है।

अत: श्री कुलदीप सोनी पुत्र श्री कल्याण प्रसाद के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11 विक्रय/2025/755 — **विज्ञप्ति** — दिनांक:- 31.1.2025

नगर विकास न्यास कोटा की योजना विवेकानन्द नगर आवास संख्या 639 को आवंटन/न्यास के पत्र क्रमांक 216 दिनांक 31.03.2001 को श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री नन्द लाल को आवंटन किया गया था। उक्त भूखंड की विक्रय स्वीकृति जर्ये मुख्तारआम श्री मोहन प्रकाश पारीक पुत्र श्री जगन्नाथ द्वारा कोटा विकास प्राधिकरण कोटा से चाही जा रही है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि इस विक्रय स्वीकृति में किसी को कोई एतराज या आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या 639 योजना विवेकानन्द नगर की विक्रय स्वीकृति श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री नन्द लाल जर्ये मुख्तारआम श्री मोहन प्रकाश पारीक पुत्र श्री जगन्नाथ के नाम जारी कर दी जायेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-2079 — नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना — दिनांक:-30.1.2025

नगर विकास न्यास कोटा की ट्रांसपोर्ट नगर व्यवसायिक योजना के भूखंड/आवास संख्या 428 का आवंटन/हस्तान्तरण न्यास के पत्र दिनांक 11.05.2001 को मै. धूरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रो. श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री सागर मल को किया गया था। आवंटी मै. धूरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रो. श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री सागर मल द्वारा उक्त भूखंड का जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 19.03.2024 को श्री बसंत सचदेव पुत्र श्री भीष्मराज सचदेव एवं श्री धीरज सचदेव पुत्र श्री बसंत सचदेव को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता श्री बसंत सचदेव की मृत्यु दिनांक 13.11.2024 को हो चुकी है। मृत्यु उपरांत आवंटी से विधिक वारिसान हकदार द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आई.डी., रिलीज डीड इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखंड/आवास को अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: प्राप्त विधिक राय अनुसार जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 428 योजना ट्रांसपोर्ट नगर व्यवसायिक का नाम हस्तान्तरण श्री धीरज कुमार सचदेव पुत्र स्व. श्री बसंत सचदेव के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-2078 — नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना — दिनांक:-30.1.2025

नगर विकास न्यास कोटा की ट्रांसपोर्ट नगर व्यवसायिक योजना के भूखंड/आवास संख्या 427 का आवंटन/हस्तान्तरण न्यास के पत्र दिनांक 11.05.2001 को मै. गिल रोड केरियर प्रो. श्री गुलजार सिंह पुत्र श्री चन्द सिंह को किया गया था। आवंटी मै. गिल रोड केरियर प्रो. श्री गुलजार सिंह पुत्र श्री चन्द सिंह द्वारा उक्त भूखंड का जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 15.06.2004 को श्री बसंत सचदेव पुत्र श्री भीष्मराज सचदेव को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता की मृत्यु दिनांक 13.11.2024 को हो चुकी है। मृत्यु उपरांत आवंटी से विधिक वारिसान हकदार द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आई.डी., रिलीज डीड इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखंड/आवास को अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: प्राप्त विधिक राय अनुसार जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 427 योजना ट्रांसपोर्ट नगर व्यवसायिक का नाम हस्तान्तरण श्री धीरज कुमार सचदेव पुत्र स्व. श्री बसंत सचदेव के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-1873 — नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना — दिनांक:-30.1.2025

नगर विकास न्यास कोटा की टैगोर नगर आवासीय भूखंड योजना के भूखंड/आवास संख्या 124 का आवंटन/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 19.08.2005 को श्रीमती संगीता जैन पत्नी श्री सुरेश कुमार जैन को आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भूखंड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री भरत वाधवानी पुत्र श्री ओमप्रकाश वाधवानी एवं श्री खुशीराम जेठवानी पुत्र श्री मनसुख दास द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.05.2023 को श्री दीपक राज दुबे पुत्र श्री सज्जन राज दुबे को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखंड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 124 योजना टैगोर नगर आवासीय भूखंड का नाम हस्तान्तरण श्री दीपक राज दुबे पुत्र श्री सज्जन राज दुबे के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-1871 — नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना — दिनांक:-30.1.2025

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा की विनोबा भावे नगर निर्धन को आंगन योजना के भूखंड/आवास संख्या 1420 का आवंटन/रजि./हस्तान्तरण न्यास के पत्र दिनांक 07.07.2010 को श्रीमती कस्तुरी बाई पत्नी श्री कन्हैया लाल को किया गया था। आवंटी की मृत्यु दिनांक 14.06.2020 को हो चुकी है। आवंटी द्वारा अपने जीवनकाल में श्री माणकचंद कसोटिया के नाम वसीयत निष्पादित कर रखी थी। मृत्यु उपरांत विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, वसीयत नामा, शपथ पत्र, वारिसान शपथ पत्र, आई.डी. इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखंड/आवास का अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 1420 योजना विनोबा भावे नगर निर्धन को आंगन का नाम हस्तान्तरण श्री माणकचंद कसोटिया पुत्र श्री कन्हैया लाल के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/3126 — **विज्ञप्ति** — दिनांक:-13.1.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रामपुरा में स्थित कृषि भूमि योजना आर.के. नगर भूखंड संख्या 75 खसरा नं. 597 आवेदक/आवेदिका श्री मुकीमउद्दीन पुत्र श्री मरहूम मतीनउद्दीन निवासी 75 आर.के. नगर पुलिस लाईन बारां रोड कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 3503 दिनांक 22.02.2005 को श्री साबीर हुसैन पुत्र श्री अब्दुल लतीफ के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टेधारी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 26.05.2008 को जर्ये मुख्तारआम श्री अब्दुल लतीफ पुत्र श्री मोहम्मद युसुफ अंसारी द्वारा ओमवती शर्मा पत्नी श्री रामावतार शर्मा को किया गया। जिसका नाम हस्तान्तरण आदेश क्रमांक 91-92 दिनांक 16.04.2010 को जारी किया गया। नामहस्तान्तरी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 03.05.2010 को मतीनउद्दीन पुत्र श्री अहसनउद्दीन को किया गया। जिसका नाम हस्तान्तरण आदेश क्रमांक 520-22 दिनांक 11.06.2010 से जारी किया गया। मतीन उद्दीन की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 26.11.2010 तथा माता सगीरा बेगम की मृत्यु दिनांक 02.05.2021 को हो चुकी है। मृतक के विधिक वारिसान पुत्र मुकीमउद्दीन, पुत्री रजिया बेगम, रुबीना खान, जरीना, शाइस्ता है। वारिसान रजिया बेगम, रुबीना खान, जरीना, शाइस्ता द्वारा ज. हकत्याग पत्र दिनांक 15.06.2023 को आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अत: श्री मुकीमउद्दीन पुत्र श्री मरहूम मतीनउद्दीन के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक/ननिकोद/जोन प्रथम/भ.नि.अनु./2025/16501 — दिनांक: 31.1.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती अंजू कपिल पत्नी श्री धनराज भारतीया (पुत्री स्व. श्री प्रताप सिंह) निवासी अहीर मोहल्ला हॉस्पीटल के पीछे शाहबाद केलवाड़ा जिला बारां राज., श्री राकेश कुमार पुत्र स्व. श्री प्रताप सिंह निवासी डी 10 नागनेची जी स्कीम बीकानेर नर्सिंग होम के पास बीकानेर राज. एवं श्रीमती मंजुला पत्नी श्री अशोक भारतीया (पुत्री स्व. श्री प्रताप सिंह) निवासी ए 704 मिरचंदानी गार्डन आयरिस बिल्डिंग सनसिटी वसई, वेस्ट ठाणे, महाराष्ट्र ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 447 ए तलवण्डी कोटा क्षेत्रफल 1480 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या 447 ए तलवण्डी कोटा क्षेत्रफल 1480 वर्गफुट का आवंटन नगर विकास न्यास कोटा द्वारा श्री प्रताप सिंह को किया गया। जिसकी रजिस्ट्री प्रताप सिंह जी के नाम पंजिबद्ध है। श्री प्रताप सिंह का उक्त मकान/प्लाट पर अपने जीवन काल से मालिकाना हक व अधिकार चला आ रहा है। श्री प्रताप सिंह जी का देहावसान दिनांक 27.04.2022 को हो चुका है एवं श्रीमती गंगा देवी पत्नी स्व. श्री प्रताप सिंह का देहावसान दिनांक 14.04.2005 को हो चुका है।

उक्त मकान/प्लाट पर उपरोक्त आवेदकों का बहैसियत वारिस के संयुक्त रुप से मालिकाना हक व अधिकार चला आ रहा है। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के आवेदित भाग का नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक/ननिकोद/जोन प्रथम/भ.नि.अनु./2025/16502 — दिनांक: 31.1.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सुभाष अरोड़ा आत्मज स्व. श्री भगवान दास निवासी मकान नं. 111 शोपिंग सेन्टर कोटा राज. ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 111 शोपिंग सेन्टर कोटा क्षेत्रफल 720 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या 111 शोपिंग सेन्टर कोटा क्षेत्रफल 720 वर्गफुट का क्रय श्री भगवान दास अरोड़ा ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिव्या संघर्षी पुत्री श्री इन्दरलाल, पत्नी कपिल संघर्षी से किया था। जिसके विक्रय पत्र का पंजियन उप पंजियक कार्यालय कोटा में दिनांक 21.01.2016 को पंजीबद्ध है। श्री भगवान दास अरोड़ा का उक्त मकान/प्लाट पर अपने जीवनकाल से मालिकाना हक व अधिकार चला आ रहा है। श्री भगवान दास अरोड़ा का देहावसान दिनांक 20.03.2020 को हो चुका है। श्री भगवान दास अरोड़ा ने अपने जीवनकाल में ही उक्त प्लाट/मकान की वसीयत श्री सुभाष अरोड़ा आत्मज स्व. श्री भगवान दास अरोड़ा के पक्ष में कर दी है। जिसका वसीयतनामा उप पंजियक कार्यालय कोटा में दिनांक 05.02.2016 को पंजीबद्ध है। उक्त मकान/प्लाट पर आवेदक का बहैसियत वारिस के मालिकाना हक व अधिकार चला आ रहा है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के आवेदित भाग का नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण